(57)

पत्र संख्या : 9/पें०(6)–01/2014 1564/वि.

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

सुखदेव सिंह

अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान प्रचिव/सचिव,
सभी आयुक्त/उपायुक्त/सभी विभागध्यक्ष/
सभी पुलिस अधीक्षक,
सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सभी सिविल सर्जन पदाधिकारी,
सभी ई० पेंशन नोडल पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक : 29.06.18

विषय : **राज्य सरकार के सेवानिवृत होनेवाले कर्मियों के लिए Online पेंशन आवेदन पर स्वीकृति हेतु दिशा निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य में दिनांक 31.08.2017 से Online पेंशन स्वीकृति की सुविधा संकल्प संख्या 2369/वि० दिनांक 13.07.2017 द्वारा लागू की गयी है ।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि Online व्यवस्था लागू करने के पश्चात् लगभग एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी Offline आवेदन उनके कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं। यह स्थिति संकल्प संख्या 2369/वि० दिनांक 13.07.2017 के प्रावधानो का उल्लघंन है। पेंशन स्वीकृति की Online व्यवस्था को पूर्ण रूपेण लागू करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि **दिनांक 01.07.2018 के उपरांत महालेखाकार कार्यालय द्वारा किसी भी मामले में पेंशन फारम-4 के माध्यम से दिये गये पेंशन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

अतः अनुरोध होगा कि पेंशन/उपदान अथवा पारिवारिक पेंशन/मृत्यु उपदान हेतु आवेदन निश्चित रूप से ऑनलाईन भरे जायें तथा ऑनलाईन भरे हुए प्रपत्र की प्रति ही अग्रतर कार्रवाई हेतु महालेखाकार कार्यालय को भेजी जाय।

विश्वासभाजन,

29/06

(सुखदेव सिंह)

अपर मुख्य सचिव।